

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 04th December, 2014

No. 2331-R-5-2014/ 16094.- In exercise of the powers conferred by section 109 read with section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013) and with reference to Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, Notification No.2249-R-5-2014/15792, dated the 27th November, 2014 the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, (hereinafter called the said rules) in rule (4), after sub-rule 4, the following sub-rule shall be added at the end, namely:-

“(5) The criteria to be followed to determine the price of land shall be such as specified in schedule A appended to the said rules”.

3. In the said rules, the following schedule shall be added at the end, namely:-

SCHEDULE A

[see rule 4(5)]

Sr. No.	Component of Compensation package in respect of land acquired under the Act	Manner of determination of value	Date of determination of value
1	2	3	4
1	Market value of land	To be determined as provided under section 26	
2	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas	1.00 (One)	
3	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban areas	1.00 (One)	

DALIP SINGH,
Additional Chief Secretary and
Financial Commissioner to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार-

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 दिसम्बर, 2014

संख्या 2331-र-5-2014/16094.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग अधिसूचना संख्या 2249-र-5-2014/15792, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2014 जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है में, नियम 4 में, उप-नियम (4) के बाद, अन्त में निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) भूमि का मूल्य अवधारण करने के लिए पालन किए जाने वाला मापदण्ड ऐसा होगा जो उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियमों में अन्त में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची

[देखिए नियम 4(5)]

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
1	2	3	4
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा	
2.	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	1.00 (एक)	
3.	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	1.00 (एक)	

दलीप सिंह,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।